न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/279

1. राजू उर्फ राजेश पुत्र शंकरलाल, जाति माली निवासी प्लाट नम्बर 14 गणेश नगर 5, नाडी का फाटक, नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जिला जयपुर राज० ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र शंकर
2. नानूलाल पुत्र शंकर
3. लालचन्द पुत्र शंकर
4. बिरदी बेवा शंकर
5. बोदूराम पुत्र नृसिंह माली
6. कैलाश पुत्र नृसिंह माली
7. रामपाली पुत्री नृसिंह
8. सन्ता पुत्री नृसिंह
9. सोना पुत्री नृसिंह
10. बसन्ती पुत्री नृसिंह
    समस्त जाति माली निवासी डोडियो की ढाणी, नाडी का फाटक, तहसील व जिला जयपुर।
11. प्रमोद पुत्र लल्लूलाल
12. मोहन लाल पुत्र लल्लूलाल
    समस्त जाति माली निवासी 256, कमला नेहरू नगर हसनपुरा जयपुर।
13. पांच्या पुत्र छोटू
14. श्री किशन पुत्र छोटू
15. हनुमान पुत्र छोटू
    समस्त जाति माली निवासी डोडिया की ढाणी नाडी का फाटक नांगल जैसा बोहरा तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
16. मंगल चन्द पुत्र भूरिया माली
17. श्रीनारायण पुत्र भूरिया माली
18. रामप्रसाद पुत्र भूरिया माली
19. बाबूलाल पुत्र भूरिया माली
20. राधा देवी बेवा भूरिया माली
21. कमला पुत्री भूरिया माली
22. मीना पुत्री भूरिया माली
    समस्त जाति माली निवासी ग्राम डोडिया की ढाणी नाडी का फाटक नांगल जैसा बोहरा तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
23. सोहन पुत्र भगवान्या
24. लक्ष्मीनारायण पुत्र भगवान्या
25. केसर देवी पुत्री भगवान्या
26. सन्तोष पुत्री भगवान्या समस्त जाति माली निवासी ग्राम डोडिया की ढाणी नाडी का फाटक नांगल जैसा बोहरा तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
27. राजेन्द्र केडिया अध्यक्ष / मंत्री श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. निवासी निवासी केडिया हाउस, नाडी का फाटक बैनाड रोड जयपुर ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

28. सोहनलाल पुत्र सुवालाल
29. कमलकान्त पुत्र जयनारायण, जाति माली, निवासी नाडी का फाटक नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जिला जयपुर
30. नाथूलाल पुत्र श्रीकिशन
31. पूरण पुत्र चन्दालाल
32. महेश पुत्र चन्दालाल
33. दीपचन्द पुत्र चन्दालाल
34. लालचन्द पुत्र मूलचन्द
35. कैलाश पुत्र मूलचन्द
36. राजू पुत्री गणेश
37. नांरगी पुत्री गणेश जाति माली, निवासी नाडी का फाटक,तहसील व जिला जयपुर।
38. श्रवण पुत्र कल्याण
39. लालचन्द पुत्र कल्याण
40. नरसी पुत्र चौथू
41. औमप्रकाश पुत्र बद्री
42. मुकेश पुत्र बद्री
43. सीताराम पुत्र बद्री
44. हनुमान पुत्र मंगला
45. भागीरथ पुत्र मंगला
46. सुरज पुत्र राधेश्याम।
47. अन्जू पुत्री बाबूलाल।
48. मदनलाल पुत्र प्रभू।
49. गोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
50. मोरिलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
51. श्रीनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण
    जाति माली, निवासी नाडी का फाटक, ग्राम नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जिला जयपुर।
52. जयपुर विकास प्राधिकरण, इन्द्रा सर्किल, जेएलएन मार्ग, रामबाग जयपुर।
53. सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन बी–3 जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुरप्रकरण संख्या 274/2002 निर्णय दिनांक 02.07.2002

उपस्थित–

1. श्री लालचन्द जाटवकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक –09.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी के अन्तर्गत न्यायालय उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी जोन–बी 3 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के निर्णय दिनांक 02.07.2002 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी जोन–बी 3 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 02.07.2002 से व्यथित होकर अपीलान्ट राजू उर्फ राजेश पुत्र शंकरलाल, जाति माली द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश न्यायालय उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी जोन–बी 3 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर दिनांक 02.07.2002 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट राजू पुत्र शंकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे नाबालिग दर्ज रिकार्ड था । अपीलान्ट द्वारा अपने हिस्से की भूमि का कतई कोई इकरारनामा व विक्रय आदि नही किया। इन सब तथ्यों को रिकार्ड पर होते हुए भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय के द्वारा वास्तविक तथ्यों को देखे व समझे बगैर ही अपीलाधीन निर्णय निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनॉक 8.4.1989 के द्वारा अपीलान्ट राजू पुत्र शंकर के हिस्से की भूमि को जरिये विक्रय इकरारनामा गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति को विक्रय किया जाना बताया गया है, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि दिनॉक 8.4.1989 को किये गये तथाकथित विकय इकरारनामा अपीलान्ट राजू पुत्र शंकर की ओर से किसी भी गृह निर्माण सहकारी समिति के हक मे विक्रय इकरारनामा नही किया गया है तथा दिनॉक 08.4.89 के इकरारनामें मे भी राजू पुत्र शंकर का नाम विक्रेता के रूप मे दर्ज नही है तथा न ही अपीलान्ट के हस्ताक्षर ही है इस तथ्य से स्पष्ट है कि योग्य अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी व अन्य अधिकारी व कर्मचारियों ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी दस्तावेज का कतई अवलोकन नही किया।जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट राजू के द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विक्रय नही किया गया है। इसके बावजूद भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के हिस्से की भूमि की खातेदारी का पर्यवसन कर दिया गया है अर्थात खातेदारी समाप्त कर दी गई है।योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कतई कोई विधिक नोटिस नहीं दिया गया, तथा ना ही अपीलान्ट को अन्य प्रकार से सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित जारी नोटिश संयुक्त रूप से अर्थात जोईन्ट नोटिश है जो विधिक प्रावधानों के अनुसार कतई गलत है अर्थात बैड इन लॉ है। अपीलान्ट अपनी हिस्से की भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करता रहा, राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे भी अपीलान्ट अपने हिस्से की भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड चला आ रहा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी जोन–बी 3 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 02.07.2002 को निरस्त किया जावे।

5. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि अपीलांटराजू उर्फ राजेश पुत्र शंकरलाल, जाति माली द्वारा न्यायालय उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी जोन–बी 3 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के निर्णय दिनांक 02.07.2002 के खिलाफ लगभग 22 साल बाद अपील पेश की है इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में एवं विलम्ब के कारणों की पुष्टि

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हेतु कोई ठोस विधिक दस्तावेज/साक्ष्य पेश भी नहीं किया है। जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 खारिज किया जाकर अपील बहस एडमिशन के स्तर पर खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट बहस एडमिशन के स्तर पर ही निरस्त की जाती है।

संभागीय आयुक्त

(डॉ आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त

संभागीय आयुक्त,
जयपुर